

## वार्षिक रिपोर्ट – 2003–04

### सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की 7वीं वार्षिक आम सभा मंगलवार, 4 जुलाई, 2006 को अपराह्न 12.30 पर रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद -121007 स्थित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जहां निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :-

### सामान्य कार्य

01. निदेशक की रिपोर्ट 31 मार्च, 2004 के अनुसार लेखा परीक्षित बेलेंस शीट और ऑडिटर्स की रिपोर्टों के साथ 31 मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए आयकर एवं व्यय लेखों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और अपनाना।

### विशेष व्यवस्था

02. विचार करना यदि उचित पाया जाए, निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन सहित/संशोधन के बिना पारित करना :- “कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (क क) और अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हो) के अनुसार निगम एतद्द्वारा भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, का पारिश्रमिक निर्धारित एवं अनुमोदित करता है।”

“इससे अधिक कृत संकल्प कि कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की आज हुई बैठक में इस बोर्ड को प्रदान की गई

शक्तियां/प्राधिकार का वे प्रयोग करेंगे और इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे।”

बोर्ड के निदेशकों के आदेश से

कृते राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

(ह0)

(आर0के0 मिश्र)  
कम्पनी सचिव

स्थान : फरीदाबाद

तिथि : 28 जुलाई, 2006

**नोट :** बैठक में भाग लेने वाला पात्र व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति (चाहे सदस्य हो अथवा न हो) को अपने प्रोक्सी के रूप में बैठक में भाग लेने एवं वोट करने के लिए नियुक्त कर सकता है। बैठक के आरम्भ होने से 48 घण्टे पहले से कम नहीं प्रोक्सी को वेलिड मानने के लिए उसको कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में डिपोजिट करना होगा। रिक्त प्रोक्सी फार्म संलग्न है।

.....

7वीं वार्षिक आम सभा के नोटिस के संबंध में अनुबंध

## कम्पनी अधिनियम-1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यतात्मक विवरण

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम एक सरकारी कम्पनी होने के नाते, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के संदर्भ में कम्पनी के सांविधिक ऑडिटर्स को नियुक्त करने का अधिकार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए कम्पनी के सांविधिक ऑडिटर्स अभी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना शेष है।

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए ऑडिटर्स की नियुक्ति का मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष रख दिया है।

सांविधिक प्रावधान अर्थात् कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (क क) के अनुसार, सांविधिक ऑडिटर्स का पारिश्रमिक आम बैठक में कम्पनी द्वारा अथवा ऐसे ढंग में किया जाएगा जैसा कम्पनी अपनी आम बैठक में निर्धारित करें। आम बैठक में किसी भी विशिष्ट अनुदेश की अनुपस्थिति में, सांविधिक ऑडिटर्स का पारिश्रमिक कम्पनी की आम बैठक में निर्धारित किया जाएगा।

सामान्य कॉरपोरेट क्रियाकलाप के रूप में, सामान्य बैठक (वार्षिक आम बैठक को छोड़कर) केवल असामान्य प्रकृति के मामलों को उठाने के लिए बुलाई जाती है; जो असामान्य आम बैठक को बुलाने का अधिकार देती है। इसके दृष्टिगत यह विवेकाधीन होगा कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए सांविधिक ऑडिटर्स का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए निदेशकों का बोर्ड प्राधिकृत हैं। संबंधित नियम 224 (8) (क क) अनुमत करता है कि आम बैठक यह निर्णय ले सकती है कि किस ढंग से भारत के नियंत्रक और महालेखा

परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक ऑडिटर्स के पारिश्रमिक को निर्धारित किया जाए।

प्रस्तावित संकल्प पर अपनी सहमति प्रार्थित है।

कम्पनी का कोई भी निदेशक इस संकल्प से वैयक्तिक रूप से सम्बन्धित नहीं है अथवा जुड़ा नहीं है; तथापि, संकल्प सांविधिक ऑडिटर्स का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए बोर्ड को एक निकाय के रूप में सशक्त बनाने की इच्छा रखता है।

निदेशकों के बोर्ड के आदेश द्वारा  
कृते राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

(हस्त0)  
(आर0के0 मिश्रा)  
(कम्पनी सचिव)

स्थान : फरीदाबाद

दिनांक : 28 / 06 / 06

निगम के सदस्यों को निदेशकों की रिपोर्ट

सज्जनों,

आपके निदेशक सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के साथ 01 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि के लिए लेखों के लिए लेखा परीक्षित विवरण के साथ आपके निगम के कार्यकारणों पर आठवीं वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए बेहद प्रसन्न हैं।

## 01. निगम की पृष्ठभूमि

यह निगम विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक एवं समाजिक विकास में एक कैटेगिस्ट के रूप में कार्य करने के लिए 24 जनवरी, 1997 में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 के तहत "लाभ हेतु नहीं" कम्पनी के रूप में संस्थापित किया गया है। इस रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, निगम का प्रधिकृत शेयर कैपिटल 400.00 करोड़ रुपये है साथ ही 74.30 करोड़ रुपये की पेड-अप शेयर कैपिटल को 1000/- रुपये प्रत्येक इक्विटी शेयर को 7,43,010 से विभाजित किया गया है। सम्पूर्ण इक्विटी भारत सरकार के पास है।

## 02. सामान्य निष्पादन

इस निगम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान संस्वीकृतियों और प्रतिपूर्तियों में अच्छा विकास किया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान संस्वीकृत 1756.12 लाख रुपये की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान 2772.93 लाख रुपये की धनराशि संस्वीकृत की जा चुकी है जो वित्तीय वर्ष 2002-03 से 57.90 प्रतिशत (लगभग) की वृद्धि दर्शाता है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान वितरित की गई 1845.45 लाख रुपये की धनराशि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2003-04 में 2691.55 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई जो पिछले वित्तीय वर्ष 2002-03 से 45.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान चैनलाइजिंग एजेंसियों के मार्फत प्रोजेक्ट फाइनांसिंग के संबंध में किये गये वितरण पिछले वित्तीय वर्ष से 53 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है; जबकि गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चैनलाइज्ड माइक्रो फाइनांसिंग स्कीम के तहत प्रतिपूर्ति इसी अवधि के दौरान 85 प्रतिशत बढ़ी है।

### 03. वित्तीय विशिष्टताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	2003-04	2002-03
कुल व्यय	343.84	338.71
कार्याकारण एवं सामान्य व्यय	91.00	72.34
सरपल्स (डेप्रिसिएशन और टैक्स से पहले)	252.83	266.37
डेप्रिसिएशन	4.57	3.89
टैक्स से पहले सरपल्स	248.26	262.48
टैक्स के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
टैक्स के बाद सरपल्स	248.26	262.48

#### 04. विनियोजन

आपके निगम ने रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान 248.26 लाख रुपये का सरप्लस ऑफ इंकम ओवर एक्सपेंडिचर दर्ज किया है। निगम की स्थापना एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये की गई है तथा यह निगम लाभोनौमुखी नहीं है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के नियम 25 के नियमानुसार निगम डिविडेंड घोषित नहीं कर सकता है। अतः व्यय के पश्चात एक्सेस ऑफ इंकम की सम्पूर्ण धनराशि जो कि 248.26 लाख रुपये है को निगम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जनरल रिजर्व में हस्तांतरित कर दी गई है।

#### 05. निदेशकों का बोर्ड

श्रीमती जयती चंद्रा, पूर्व संयुक्त सचिव (डी0डी0), समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण 16 नवम्बर, 2005 तक कम्पनी के निदेशक रहे।

श्री जी0एन0 नेगू आई ए एस (उड़ीसा : 75) संयुक्त सचिव (विकलांग विभाग), समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय 16 नवम्बर, 2005 से एन एच एफ डी सी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये जिसकी अवधि तीन वर्ष की थी अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो।

श्री हर्ष कौल, महा प्रबंधक, सिडबी (कम्पनी के पूर्व निदेशक) के स्थान पर श्री आर0एन0 यादव, उप महा प्रबंधक, सिडबी तीन वर्ष की अवधि के लिए एन एच एफ डी सी के बोर्ड में निदेशक के रूप में 26 दिसम्बर, 2005 को नियुक्त किये गये अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले हो।

## 06. ऑडिटर्स की नियुक्ति

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए निगम के सांविधिक ऑडिटर्स के रूप में मैसर्स एम0एल0 भंसाली एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउंटैंट्स को सी एण्ड ए.जी पत्रांक सी ए वी/सी ओ वाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, हैण्डिफ (1)/1097, दिनांक 10-12-2004 के माध्यम से नियुक्त किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए सांविधिक ऑडिटर्स अभी सी एण्ड ए0जी ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाना शेष है।

## 07. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

निदेशकों का बोर्ड प्रकट करता है कि :

- वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू अकाउंटिंग मापदण्डों के साथ ही ऑडिटर्स रिपोर्ट में निर्दिष्ट परिमाण को छोड़कर मेटेरियल डिपार्चर से संबंधित उचित व्याख्या की गई थी।
- निदेशकों ने ऐसी अकाउंटिंग नीतियां चयनित की तथा उनको लगातार अपनाया और निर्णय एवं आकलन दिये जो कि बुद्धिसम्पन्न एवं विवेकपूर्ण थे जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में निगम के कार्यों की स्थिति का और उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखों के संबंध में वास्तविक एवं सन्तोषजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- निदेशकों ने निगम की परिसम्पतियों की रक्षा करने और धोखेबाजी एवं अन्य अनियमितताओं से निवारण एवं इनका पता



लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त अकाउंटिंग अभिलेखों के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती थी।

- चालू महत्वों पर वार्षिक लेखों को निदेशकों द्वारा तैयार किया गया था।

#### 08. फिक्सड डिपोजिट्स

विचारीधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने जनता से कोई डिपोजिट स्वीकार नहीं किये हैं।

#### 09 कर्मचारियों के विवरण :

कम्पनी नियम, 1975 (कर्मचारियों के विवरण) सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के नियम 217 (2 क) में निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक निगम के किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया गया है।

#### 10. सांविधिक ऑडिटर्स द्वारा किये गये अवलोकनों/अहर्ताओं का विवरण

क सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा-6 (क) के संदर्भ में :

निगम, अन्य मिलते-जुलते निगम में इस संबंध में किये जाने वाली प्रकैटिस का अध्ययन करने के लिए कार्य कर रही है और यदि आवश्यक लगा तो उस संबंध में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एवं प्रोविज़िनिग की शिनाख्त करने/वर्गीकरण के लिए मापदण्ड निर्धारित कर दिये जाएंगे।

ख सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा-6 (ख) के संदर्भ में :

एन एच एफ डी सी तिमाही आधार पर स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं गैर-सरकारी संगठनों पर डिमाण्ड उठाता रहा है। सांविधिक ऑडिटर्स के अवलोकन के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्येक डिमाण्ड स्टेटमेंट में समय दिया जाएगा ताकि कमियों, विसंगतियों को प्रकाश में लाया जा सके, यदि कोई हो, और यदि कोई भी विसंगति निर्धारित समय के भीतर प्रकाश में नहीं लाई जाती है तो उसे डिमाण्ड अमाउंट का कन्फर्मेशन मान लिया जाएगा।

ग. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा (ग) के संबंध में :

कम्पनी के लोन लेजर्स को समय-समय पर इन-हाउस रिकनसाइल्ड किये जाते रहे हैं। अभी तक, किसी भी वैयक्तिक खाते के संबंध में कोई विशिष्ट विसंगति ना तो इंटरनल ऑडिटर्स ना ही सांविधिक ऑडिटर्स ने पोईंट आउट नहीं की है।

तथापि, कम्पनी लोन लेजर्स को पूर्णतया रिकनसाइल्ड कराने हेतु बाहरी स्वतन्त्र एजेंसी की मदद लेगी और उनसे सत्यापित भी करायेगी।

घ. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा (घ) के संबंध में :

एन एच एफ डी सी देयों को शीघ्र वसूल करने के लिए एस सी ए को प्रस्यू कर रहा है। एन एच एफ डी सी आंध्र प्रदेश विकालांगुला को-ओपरेटिव निगम से देय धनराशि की अदायगी के लिये, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी को एनफोर्स करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने जा रही है।

ड. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा (ड) के संबंध में :

एन एच एफ डी सी अपने देयों को शीघ्र से शीघ्र वसूल करने के लिए एस सी ए को प्रस्यु कर रहा है।

निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप, एन एच एफ डी सी देयों की वसूली 50.19 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है जो कि 31 मार्च, 04 को 42.19 प्रतिशत से अधिक है।

च. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा (च) के संबंध में :

एन एच एफ डी सी अपने देयों को शीघ्र से शीघ्र वसूलने के लिए एस सी ए को प्रस्यु कर रही है। एस सी ए से देय धनराशि ब्लॉक गवर्नमेंट गारंटी के तहत कवरर्ड है जो एन एच एफ डी सी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से फर्निश की गई है।

इन लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, एस सी ए से ओवरडियु धनराशि घटकर 24.88 रुपये रह गई है और एस सी ए से ओवरडियु ब्याज इस रिपोर्ट के तैयार होने तक घटकर 0.38 लाख रुपये रह गया है।

निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप, एन एच एफ डी सी देयों की वसूली 31 मार्च, 2004 को 32.06 प्रतिशत की तुलना में बढ़ कर 53.57 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

छ. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा 6(छ) के संबंध में :

एन एच एफ डी सी अपने देयों की शीघ्र से शीघ्र वसूली के लिए एस सी ए को प्रस्यु कर रहा है। एन एच एफ डी सी को मध्य प्रदेश सरकार से सरकारी आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें एस सी ए को

लोनिंग्स के अगेनस्ट अतिरिक्त गारंटी फार्निश करने को कहा है और सरकारी आदेश के तहत कितनी बकाया धनराशि कवरर्ड है।

ज. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा 6(ज) के संबंध में :

एन एच एफ डी सी अपने देयों की शीघ्र से शीघ्र वसूली के लिए एस सी ए को प्रस्यु कर रहा है। बकाया धनराशि ब्लॉक गवर्नमेंट गारंटी के भीतर कवरर्ड है जो एन एच एफ डी सी और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुई है।

झ. एन एच एफ डी सी अपने देयों की शीघ्र से शीघ्र वसूली के लिए एस सी ए को प्रस्यु कर रहा है। डिफॉल्टिंग एन जा ओ को ब्लैकलिस्टिंग करना, एन जी ओ की डिफॉल्टिंग स्थिति के संबंध में सभी फंडिंग एजेंसियों को सूचित करना आदि जैसे क्रियाकलाप पहले ही आरम्भ कर दिये गये हैं। एन एच एफ डी सी डिफॉल्टिंग एन जी ओ के विरुद्ध एफ आई आर लिखवाने, सिविल सूट करने जैसे कदम उठाने को भी सोच रही है।

प्रतिभूति एफ डी आर के रूप में ऋण धनराशि के 25 प्रतिशत तक की सिक्योरिटी एन एच एफ डी सी के पास है और कुछ मामलो में एन एच एफ डी सी को सिक्योरिटी के रूप में प्रापर्टी गिरवी रखी गई है, ऋण धनराशि के 40 प्रतिशत से कम नहीं के आधार पर भूमि को गिरवी रखा जाता है।

ञ. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा (ञ) के संबंध में :

एन एच एफ डी सी परिसम्पतियों की फिजिकल कस्टडी लेने के प्रयास कर रहा है। निगम ने 12.01.06 को प्रशासनिक मंत्रालय से सॉफ्टवेयर सहित मॉनीटर के साथ कम्प्यूटर सिस्टम का फिजिकल कस्टडी ले लिया था जो अब एन एच एफ डी सी के

कार्यालय में उपयोग में लाया जा रहा है। एतः सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट में विनिर्दिष्टानुसार 2,08,277/- रुपये की धनराशि की परिसम्पत्तियों को ग्रास वेल्यू ऑफ बैलेंस में से, 76,882 (छियत्तर हजार आठ सौ बयासी रुपये केवल) की परिसम्पत्तियां एन एच एफ डी सी द्वारा वापिस ले ली गई हैं। प्रशासनिक मंत्रालय के पास ग्रास वेल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ द ऐसेट्स 22481/- रुपये है जबकि इन परिसम्पत्तियों की बुक वेल्यू (मूल्यह्रास कीमत) घटाकर शून्य कर दी गई है। प्रशासनिक मंत्रालय ने सूचित किया है कि ये परिसम्पत्तियां अब खोज पाना सम्भव नहीं है। निदेशकों के बोर्ड का मानना हे कि इन परिसम्पत्तियों को खोज निकालने और इन परिसम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिये जाने के स्थान पर इन परिसम्पत्तियों को कम्पनी के खातों/रजिस्ट्रों से राइट ऑफ कर दिया जाये।

पूर्व मंत्री समाजिक कल्याण, के पास दो एयर कंडिशनर और वोल्टेज स्टैबलाइज़र्स (ग्रास वेल्यू 1,08,914/- रुपये) है, एन एच एफ डी सी इनकी फिजिकल कस्टडी वापस लेने का प्रयास कर रहा है और इस मामले को प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष रख दिया गया है। अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निदेशक, एल एच एफ डी सी से नवीनतम बातचीत को प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष रख दिया है। इस संबंध में एन एच एफ डी सी के पत्रांक एन एच एफ/2/20/98/31266, दिनांक 19/12/05 का संदर्भ लें।

ट. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा (ट) के संबंध में :

18 दिसम्बर, 2003 को निदेशकों के बोर्ड की आयोजित हुई 27 वीं बैठक में सरकार के अनुमोदन के अनुसार स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों पर दण्डस्वरूप ब्याज के संबंध में प्रावधानों में छूट देने के अनुमोदन को मान लिया गया है। मामले पर अभी निर्णय शेष है।

ठ. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा (ठ) के संबंध में :

कम्पनी ने प्रशासनिक मंत्रालय के मार्फत आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत प्रदान किये जाने हेतु लिखा था। उक्त आवेदन वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.06.05 के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया गया। इस संबंध में कम्पनी प्रतिष्ठित सनदी लेखाकारों की राय प्राप्त कर रही है और भविष्य में आयकर मामलों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा।

ड. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा (ड) के संबंध में :

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान, कम्पनी ने राज्य सरकारें को आवश्यक गारंटी देने को कहा। निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप, 1 अप्रैल, 2005 से 38.79 करोड़ रुपये की गारंटी फार्निश करने के लिए अतिरिक्त सरकारी गारंटी/सरकारी आदेश प्राप्त किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्रों की स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों में संघ शासित क्षेत्र सरकार के लिए हौली ओन्ड सरकारी कम्पनी (भारत सरकार द्वारा स्वामित्व) के फेवर में सरकारी गारंटी एक्सक्यूट करना वास्तव में काफी कठिन हो जाता है।

ढ. सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट के पैरा 6(ढ) के संबंध में :

इस संबंध में कम्पनी आवश्यक कार्यवाही करेगी और रेज़्ड डिमाण्ड की डिटैल्ड चैकिंग के लिए एक पद्धति का निर्माण करेगी।

11. **अभिस्वीकृतियां**

आपके निदेशक विभिन्न अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों, कम्पनी ऑडिटर्स और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उनके सतत मार्गदर्शन एवं परामर्श के लिए भी आभारी हैं।

कृते निदेशकों के बोर्ड की तरफ से

हस्ता०  
(राकेश गर्ग)  
अध्यक्ष—सह—प्रबंधक निदेशक

दिनांक — 11 अगस्त, 2006

स्थान — नई दिल्ली

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद के खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है और उनके पास कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा (4) के तहत कोई टिप्पणियां नहीं हैं।

(हस्त0)

(मीरा स्वरूप)

प्रधान निदेशक वाणिज्यक ऑडिट और  
पदेन सदस्य, ऑडिट बोर्ड – III , नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 7 जून, 2006



मैसर्स एम0एल0 भनसाली एण्ड कम्पनी  
सनदी लेखाकार

फोन-0129-2414227  
0129-2414987

ई-मेल mlbhansalico@yahoo.co.in

35, नीलम बाटा रोड  
एल0आई0टी0, फरीदाबाद-121001

### *सांविधिक ऑडिटर्स रिपोर्ट*

सदस्य  
राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम,  
सेक्टर -12,  
फरीदाबाद - 121007

हमने *राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम* की 31.3.2004 के अनुसार संलग्न तुलन पत्र और उसी तिथि के अनुबद्ध आय एवं व्यय लेखा को भी लेखा परीक्षित कर लिया गया है। ये वित्तीय विवरण निगम के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व केवल हमारे ऑडिट के आधार इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने भारत में स्वीकृत ऑडिटिंग के सामान्य मापदण्डों के अनुसार ही यह ऑडिट किया है। उन मापदण्डों के अनुसार हमें ऑडिट को योजनाबद्ध एवं प्रॉफोर्म करना पड़ता है जिससे कि संतोषजनक आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय विवरण अध्यार्थ विवरण सामग्री में मुक्त हैं। ऑडिट में जांच आधार पर, धनराशियों के समर्थन में सबूत एवं वित्तीय विवरणों में डिसक्लोजर्स का निरीक्षण

शामिल होता है। ऑडिट में प्रयोग में लाये गये आकाउंटिंग सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन के साथ-साथ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन का आकलन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारा ऑडिट हमारे मत के लिए एक संतोषजनक आधार मुहैया कराता है।

इस रिपोर्ट में कम्पनी अधिनियम, 1956 के नियम 227 (4 क) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (ऑडिटर्स रिपोर्ट) ऑर्डर, 2003 में विनिर्दिष्ट मामलों पर स्टेटमेंट शामिल नहीं है चूंकि, उक्त आदेश इस निगम पर लागू नहीं होता है क्यों कि यह नियम उपर्युक्त अधिनियम के नियम 25 के तहत पंजीकृत है।

**हम रिपोर्ट करते हैं कि :**

1. हमने सभी जानकारियां एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास से हमारे ऑडिट के प्रयोजनार्थ आवश्यक थी।
2. हमारे मत में, निगम द्वारा अभी तक कानून सम्मत बुक ऑफ अकाउंट्स रख जी गई है जो हमारे अनुसार आवश्यक है।
3. इस रिपोर्ट से जुड़ी बेलेंस शीट तथा आय एवं व्यय लेखे बुक ऑफ अकाउंट्स के अनुसार हैं।
4. हमारे मत में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के नियम 211 के उपनियम 3 (ग) में विनिर्दिष्ट अकाउंटिंग मापदण्डों के अनुसार इस रिपोर्ट की बेलेंस शीट और आय एवं व्यय लेखे तैयार किये गये हैं।
5. कम्पनी अधिनियम, 1956 के नियम 274 (1) (जी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं है।

6. हमारे मत में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार संबंधित लेखे के अधीन हैं :-
- क) निगम ने नॉन-परफोमिंग ऐसेट्स के शिनाख्तिकरण और प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन्स तथा इंटररेस्ट ओवर ड्यू देयर ऑन की ओवरडियु इंस्टालमेंट्य के लिए बुक ऑफ अकाउंट्य में प्रयोजन के सृजन के प्रयोजनार्थ प्रयुडेंशियल नॉमर्स पॉलिसी तैयार नहीं की है।
- ख) स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों एवं गैर-सरकारी संसगठनों से दये ऋण एवं ब्याज का कनफर्मेशन उपलब्ध नहीं है। उक्त की अनुपस्थिति में, लेखों पर प्रभाव, यदि कोई हो, जो नॉन-कनफर्मेशन/रिकनसिलियेशन से उत्पन्न होने वालों का पता नहीं लगाया जा सकता है
- ग. हमने पाया कि जनरल लेजर में प्रत्येक एस सी ए/एन जी ओ प्रत्येक का अलग से खाता नहीं है और निगम ने प्रत्येक एस सी ए/एन जी ओ के लिए अलग से रजिस्टर बनाया हुआ है किन्तु जनरल लेजर के साथ रिकनसाइलड नहीं किया हुआ है। उक्त की अनुपस्थिति में रिकनसिलियेशन से उत्पन्न होने वाले खातों पर प्रभाव, यदि कोई हो, निश्चय नहीं होंगे।
- घ. कि 31 मार्च, 2004 तक आंध्र प्रदेश विकलानगुला कॉओपरेटिव कॉरपोरेशन (ए पी वी सी सी) को 269.44 लाख रुपये रिलीज कर दिये गये है। 31 मार्च, 2004 तक के अनुसार ए पी वी सी सी पर 64.83 लाख रुपये देय थे जिसमे 4.66 लाख रुपये देय के रूप में ब्याज भी शामिल था जो वितरित ऋण के अगेनस्ट था। टोटल लोन डिसबर्सड के अगेनस्ट 31 जनवरी, 2006 के अनुसार ओवर डियु धनराशि 108.10 लाख रुपये है जिसमे 11.41 लाख रुपये का ओवर डियु इंटररेस्ट भी शामिल है।

ए पी वी सी सी द्वारा बार-बार दिये गये आश्वासनों के पश्चात भी कोई संतोषजनक वसूली सामने नजर नहीं आ रही है। एक तत्काल कार्रवाई योजना तैयार की जानी चाहिए और ओवर डियु अमाउंट की रिकवरी के लिए सख्ती से इस योजना पर अमल किया जाये जिसके तहत ब्लॉक गवर्नमेंट गारंटी को इनवोक करना भी शामिल है।

ड. 31 मार्च, 2004 तक महिला विकास समाबया निगम, उड़ीसा (एम एन एन) को 935.73 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई थी। 31 मार्च, 04 तक अनुसार ओवर डियु अमाउंट 142.40 लाख रुपये थी जिसमे उस तारीख तक डिसबर्सड लोनो के अगेनस्ट ओवर डियु इंटररेस्ट 4.17 लाख रुपये था। 31 जनवरी, 06 के अनुसार ओवर डियु अमाउंट अगेनस्ट द टोटल लोन्स डिसबरीज 228.92 लाख रुपये है। इन ऋणों की वसूली बहुत कम है अतः अधिक से अधिक प्रयास किये जाये और निजी दौरे भी किए जाये ताकि तत्काल वसूली आरम्भ हो सके और ब्लॉक गवर्नमेंट गारंटी इनवोक की जा सके।

च. कि 85.47 लाख रुपये की धनराशि मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, मध्य प्रदेश को 31 मार्च, 2004 तक रिलीज कर दिये गये। उक्त लोन के अगेनस्ट 31 मार्च, 2004 को ओवर डियु अमाउंट 27.87 लाख रुपये है जिसमे 2.59 लाख रुपये का ब्याज भी सम्मिलित है। 31 जनवरी, 2006 को टोटल जोन्स डिसबर्सड के लिए ओवर डियु अमाउंट 45.01 लाख रुपये है जिसमे 2.78 लाख रुपये का ब्याज भी शामिल है। ओवर डियु अमाउंटस् की उचित वसूली पर तत्काल ध्यान दिया जाना अपेक्षित है जिसके लिए उचित

कार्रवाई की जाए और ब्लॉक गवर्नमेंट गारंटी इनवोक की जाये।

- छ. मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, मध्य प्रदेश को 31 मार्च, 2004 तक 52.45 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई। उक्त लोन के अगेनस्ट 31 मार्च, 04 को ओवर डियु अमाउंट 6.79 लाख रुपये है जिसमे 0.43 लाख रुपये का ब्याज भी शामिल है। टोटल लोन्य डिसबर्ड के लिए 31 जनवरी, 2006 को ओवर डियु अमाउंट 14.39 लाख रुपये है जिसमे 0.22 लाख रुपये का ओवर डियु ब्याज भी शामिल है। ओवर डियु अमाउंट की उचित वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
- ज. महात्मा फूले बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, महारष्ट्र (एम पी बी सी डी सी) को 31 मार्च, 2004 को 50.00 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई। 31 मार्च, 04 को 15.69 लाख रुपये की धनराशि ओवर डियु है जिसमे 0.25 लाख रुपये का ओवर डियु इंटररेस्ट शामिल है। 31 जनवरी, 2006 को कुल ओवर डियु अमाउंट 22.64 लाख रुपये है। कॉरपोरेशन को चाहिए कि वे ओवर डियु अमाउंट की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए।
- झ. माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2004 तक एन जी ओस को 206.29 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गई, उक्त रिलीज की गई निधियों के अगेनस्ट, निगम द्वारा रेज़ड डिमाण्ड के टूवर्ड्स 39.33 लाख रुपये की धनराशि (0.65 लाख रुपये इंटररेस्ट सहित) रिकवरेबल है। 31 जनवरी, 2006 को टोटल ओवर डियु अमाउंट 76.90 लाख रुपये है जिसमे 1.99 लाख रुपये का ओवर डियु इंटररेस्ट भी शामिल है। निगम को ओवर डियु अमाउंट की रिकवरी के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

ज. मंत्रालय और समाजिक कल्याण के पूर्व-मंत्री द्वारा मौजूदा रूप से उपयोग की जा रही परिसम्पत्तियों का मूल्य 208277/- रुपये है जिस पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है अथवा इन परिसम्पत्तियों की कोई कस्टडी नहीं है।

ट. शेड्यूल एम के नोट 4 क(क) जो कि 3 प्रतिशत/2 प्रतिशत पिनल इंटररेस्ट लगाने के संबंध में है चैनलाइजिंग एजेंसियों पर उनके रिपेमेंट में डिफॉल्ट के लिए जैसे भी लागू हो चार्ज किया जाए, खातों को बनाने में प्रभाव न निश्चय का हो न ही इस पर विचार किया जाये।

ठ. आयकर मामलों के संबंध में अनुसूचि एम के नोट बी(1) जहां आयकर रिटर्न के साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और लायबिलिटी, यदि कोई हो, नहीं फाइल किये गये हों, को ऐसरटेन्ड न किया जाये न ही प्रोवाइड फॉर किये जाए।

ड. विभिन्न राज्यों की चैनलाइजिंग एजेंसियों को लोन के अगेनस्ट 1607.55 लाख रुपये की ब्लॉक गवर्नमेंट गारंटी की कमी के संबंध में अनुसूची एन के नोट बी(5) अनसिकयर्ड माना जाए।

ढ. हमारी राय में, इंस्टालमेंट ऑफ प्रिंसिपल और चार्जिंग ऑफ देयरऑन को शामिल करते हुए निगम द्वारा रेज़ड डिमाण्ड की डिटेल्ड चेकिंग को कवर अप करने के लिए इंटरनल ऑडिट को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

और इनको लेखों पर टिप्पणियों सहित एक साथ पढ़ा जाये तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत जानकारी भी प्रदान की गई है और भारत में स्वीकृत सामान्य अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार सत्य एवं न्यायसंगत दृष्टिकोण रखा गया है;

- i) बैलेंस शीट के मामले में, 31 मार्च, 2004 के अनुसार निगम की परिस्थिति; और
- ii) 31 मार्च, 04 को समाप्त हुये वर्ष के लिए सरप्लस के आय एवं व्यय लेखा के मामले में।

कृते  
एम0एल0 भंसाली एण्ड कम्पनी  
चार्टरर्ड अकाउंटेंट्स  
हस्त0

एम0एल0 भंसाली  
(पार्टनर)  
एम सं0 84782

स्थान : कैम्प, नई दिल्ली  
दिनांक : 15.05.2006

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम  
रेड कॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद (हरियाणा)  
31 मार्च, 2004 को बैलेंस शीट

(धनराशि रुपयों में)

	विवरण	अनुसूची	31.3.2004 के अनुसार	31.3.2003 के अनुसार
क	निधियों के स्रोत : शेयर होल्डर्स फण्ड शेयर कैपिटल	क	62,30,10,000	52,30,10,000
	शेयर एपलिकेशन मनी (आबंटन हेतु लंबित)		0	1,00,00,000
	रिजर्व एवं सरप्लस	ख	18,54,97,997	16,07,21,239
	<b>कुल</b>		<b>83,85,07,997</b>	<b>78,37,31,239</b>
ख	निधियों की एपलीकेशन स्थाई परिसम्पतियां			
	ग्रोस ब्लॉक	ग	49,21,979	46,00,109
	घटा एक्युमयुलेटिड डेप्रिसियेशन		34,00,598	29,43,797
	<b>नेट ब्लॉक</b>		<b>15,21,381</b>	<b>16,56,312</b>



	मौजूदा परिसम्पतियां, ऋण एवं अग्रिम क) मौजूदा परिसम्पतियां :			
	कैश एवं बैंक बैलेंस	घ	23,51,74,595	38,52,95,299
	अन्य मौजूदा परिसम्पतियां	ङ	29,17,149	2,02,04,059
	ख) ऋण एवं अग्रिम	च	57,13,37,486	37,87,12,059
			80,94,29,230	78,42,11,417
	घटा : मौजूदा देयताओं एवं प्रावधान			
	क) मौजूदा देयताओं	छ	19,97,351	18,52,750
	ख) प्रावधान	ज	4,45,263	2,83,740
			24,42,614	21,36,490
	शुद्ध मौजूदा परिसम्पतियां		80,85,07,997	78,37,31,239

अकाउंटिंग नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां ड  
"क" से "ड" अनुसूचियां लेखों का सम्पूर्ण भाग है

सलग्न समसंख्यक दिनांक की  
हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में  
प्रमाणित

कृते निदेशकों के बोर्ड की  
तरफ से

हस्त०  
(राकेश गर्ग)  
अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक

कृते  
मैसर्स एम०एल० भंसाली  
एण्ड कम्पनी  
की तरफ से  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
हस्त०

(एम०एल० भंसाली)  
(संजय गुप्ता)  
पार्टनर  
एम नं० 95657

हस्त०  
(जी०एन० पेगु)  
निदेशक

स्थान : कैम्प, नई दिल्ली  
दिनांक : 15-9-2006

हस्त० हस्त०  
(जी.एस. पनवर) (आर०के० मिश्रा)  
प्रबंधक (वित्त) कम्पनी सचिव

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम  
रेड कॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद (हरियाणा)

31 मार्च, 2004 समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(धनराशि रुपयों में)

	विवरण	अनुसूची	31.3.2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.3.2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क	आय			
	ऋण से प्राप्त ब्याज	झ	1,20,81,497	96,94,085
	अन्य प्राप्तियां	ञ	2,23,02,795	2,41,77,517
	कुल		3,43,84,292	3,38,71,602
ख	व्यय :			
	कर्मचारियों के लिए अदायगियां एवं प्रावधान	ट	33,24,996	26,67,730
	प्रशासनिक व्यय	ठ	58,25,737	45,6,992
	मूल्यहास	ग	4,56,801	3,88,698
	जनरल रिजर्व को हस्तांतरित व्यय से आय की अधिकता		2,47,76,758	2,62,48,182
	कुल		3,43,84,292	3,38,71,602

अकाउंटिंग नितियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	ड		
--	---	--	--

अनुसूचियां "क" से "ड" खातो के महत्वपूर्ण भाग है

सलंगन समसंख्यक दिनांक की  
हमारी ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में  
प्रमाणित

कृते निदेशकों के बोर्ड की  
तरफ से

हस्त०  
(राकेश गर्ग)  
अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक

कृते  
मैसर्स एम०एल० भंसाली  
एण्ड कम्पनी  
की तरफ से  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
हस्त०

(एम०एल० भंसाली)

पार्टनर

हस्त०  
(जी०एन० पेगु)  
निदेशक

स्थान : कैम्प, नई दिल्ली

दिनांक : 15-9-2006

हस्त० हस्त०  
(जी.एस. पनवर) (आर०के० मिश्रा)  
प्रबंधक (वित्त) कम्पनी सचिव

राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम

अनुसूची "क"

(धनराशि लाख रुपये में)

शेयर पूंजी	31.03.04 के अनुसार	31.03.03 के अनुसार
प्राधिकृत 40,00,000 इक्विटि शेयर्स 1000 / – रुपये प्रत्येक	400,00,00,000	400,00,00,000
इश्युड, सब्सक्राइड एण्ड पैड-अप : 6,23,010 इक्विटि शेयर्स (पिछले वर्ष 5,23,010 इक्विटि शेयर्स) 1000 / – रुपये प्रत्येक फूली पैड	62,30,10,000	52,30,10,000
कुल	62,30,10,000	52,30,10,000

अनुसूची "ख"

(धनराशि लाख रुपये में)

रिजर्व एवं सरपल्स	31.03.04 के अनुसार	31.03.03 के अनुसार
जनरल रिजर्व :	16,07,21,239	13,44,73,057
पिछली बैलेंस शीट बी/एफ के अनुसार		
जमा आय एवं व्यय खाते से हस्तांतरित	2,47,76,758	2,62,48,182
कुल	18,54,97,997	16,07,21,239

राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम

अनुसूची "ग"

अचल परिसम्पतियां

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रमांक	विवरण	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास			नेट ब्लॉक	
		31.3.03 को लागत	वर्ष के दौरान एडीशन	बिक्री/समायोजन	31.3.04 को कुल लागत	31.3.03 को मूल्यहास	वर्ष के लिए मूल्यहास	31.3.04 को कुल मूल्यहास	31.3.04 के अनुसार	31.3.03 के अनुसार
1.	फर्निचर	615759	102068	0	717827	442478	127561	570039	147788	173281
2.	फिक्सचर्स एवं फिटिंग्स	12,73,469	0	0	1273469	806002	84612	890614	382855	467467
3.	कार्यालय उपस्कर	865776	15622	0	881398	434217	70702	504919	376479	431559
4.	कम्प्यूटरर्स	1300317	171503	0	1471820	1085946	142307	1228253	243567	214371
5.	एयर कंडीशनरर्स तथा कुलरर्स	4,01,115	0	0	4,01,115	173804	31619	205423	195692	227311
6.	साइकिल	1350	0	0	1350	1350	0	1350	0	0
	<b>कुल</b>	<b>44,57,786</b>	<b>289193</b>	<b>0</b>	<b>4746979</b>	<b>2943797</b>	<b>456801</b>	<b>3400598</b>	<b>1346381</b>	<b>1513989</b>
7.	जमा : प्रोग्रेस कम्प्यूटर में वर्क कैपिटल	142323	175000	142323	1,75,000	0	0	0	175000	142323
	<b>कुल</b>	<b>4600109</b>	<b>464193</b>	<b>142323</b>	<b>4921979</b>	<b>2943797</b>	<b>456801</b>	<b>3400598</b>	<b>1521381</b>	<b>1656312</b>
	पिछले वर्ष	4409586	190523	142323	4600109	2555099	388698	2943797	1656312	1854487

अनुसूची 'घ'

(धनराशि रुपये में)

नकद एवं बैंक बैलेंस	31.3.2004 के अनुसार	31.3.2003 के अनुसार
कैश इन हैण्ड (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)	76,598	18035
बैंक बैलेंस (अनुसूचित बैंकों सहित) :		
क) बचत खाता	2,50,97,997	95277264
ख) बैंकों के साथ एफ डी आर / डिपोजिटस (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)	21,00,00,000	29,00,00,000
<b>कुल</b>	<b>23,51,74,595</b>	<b>385295299</b>

अनुसूची 'ड'

(धनराशि रुपये में)

अन्य चालू परिसम्पतियां	31.3.2004 को स्थिति	31.3.2003 को स्थिति
पब्लिक डिपोजिट अकाउंट पर प्राप्त योग्य ब्याज किन्तु देय नहीं	0	15912239
डिपोजिस्ट पर प्राप्त योग्य ब्याज किन्तु देय नहीं	2553302	3744975
सिक्योरिटी डिपोजिस्ट्स पर प्राप्त योग्य ब्याज किन्तु देय नहीं	108744	92944
सेविंग बैंक खातों पर प्राप्त योग्य ब्याज किन्तु देय नहीं	21851	172885
वाहन अग्रिम पर प्राप्त योग्य ब्याज किन्तु देय नहीं	50849	40750
एच बी ए पर प्राप्त योग्य ब्याज किन्तु देय नहीं	377583	236536
कम्प्यूटर अग्रिम पर प्राप्त योग्य ब्याज किन्तु देय नहीं	4820	3590
<b>कुल</b>	<b>29,17,149</b>	<b>2,02,04,059</b>



अनुसूची 'च'

(धनराशि रुपये में)

ऋण एवं अग्रिम		31.3.2004 के अनुसार	31.3.2003 के अनुसार
<b>क</b>	<b>ऋण :</b>		
1.	आवधिक ऋण (एस सी ए)	750601783	490509906
	घटा : रिफंड	12,06,59,078	82722048
		62,99,42,705	408187858
	घटा : रिपेमेंट	77449506	42727656
	<b>कुल (क)</b>	<b>55,24,93,199</b>	<b>36,54,60,202</b>
2.	आवधिक ऋण (एम एफ एस)	20629,500	1,11,66000
	घटा : रिफंड	45,600	0
		20583900	1,11,66,000
	घटा : रिपेमेंट	74,46,489	3464785
	<b>कुल (ख)</b>	<b>1,31,37,411</b>	<b>77,01,215</b>
3.	प्राप्तयोग्य ब्याज और आवधिक ऋण पर देय		
	क) एस सी ए	3159188	3309284
	ख) एम एफ एस	67464	24761
	<b>कुल (ग)</b>	<b>32,26,652</b>	<b>33,34,045</b>
ख	अग्रिम वसूली में प्राप्त हाने वाले नकद अथवा प्राप्त होने वाला मूल्य		
I	सिक्क्योरिटी डिपोजिट :		
	क. रेडक्रॉस सोसाइटी के पास लीज के अगेनस्ट सिक्क्योरिटी डिपोजिट	4,50,000	4,50,000
	ख. टेलिकॉम प्राधिकरण	1,15,000	1,12,000
	ग. भारती सैल्युलर	9000	9000
	घ. सी एम डी के लीजड हाउस के अगेनस्ट श्री विनीत गांधी	75,000	75,000
	ड. सी एम डी के लीजड हाऊस के अगेनस्ट श्री शैलेद्र गर्ग	7250	0
II	पार्टी को अग्रिम	4,54,534	63799
III	वाहन अग्रिम	90,000	1,14,000

IV	प्रीपेड व्यय	13090	3136
V	हाऊसबिल्डिंग अग्रिम	1209658	1343662
VI	कम्प्यूटर एडवांस	14,000	26000
VII	स्टाफ को एडवांस	18,574	0
VIII	एन एस के एफ डी सी से वसूली योग्य धनराशि	20,000	20,000
IX	मैसर्स यादव कैब कम्पनी से वसूली योग्य धनराशि	4,118	0
	<b>कुल (घ)</b>	<b>24,80,224</b>	<b>22,16,597</b>
	<b>कुल योग (क+ख+ग+घ)</b>	<b>57,13,37,486</b>	<b>37,87,12,059</b>

अनुसूची 'छ'

(धनराशि रुपये में)

अन्य दायित्व		31.3.2004 के अनुसार	31.3.2003 के अनुसार
<b>1.</b>	<b>बकाया व्यय</b>		
क	टेलीफोन व्यय	14417	16518
ख	किराये पर लिये गये वाहन का प्रभार	35,650	34410
ग	विज्ञापन	0	7930
घ	कार्यालय का रखरखाव	2738	4503
ङ	यात्रा व्यय	0	20176
	<b>कुल (1)</b>	<b>52,805</b>	<b>83,537</b>
<b>2.</b>	<b>अन्य देय :</b>		
I	संविधिक ऑडिटर्स को पारिश्रमिक	103822	85900
II	आंतरिक ऑडिटर्स को पारिश्रमिक	81549	81550
III	मैसर्स रेड कॉस सोसाइटी (बिजली प्रभार)	252645	254045
IV	एम ए इ एफ (बिजली प्रभार)	10442	0
V	वाहन यात्रा प्रतिपूर्ति	0	5728
VI	समाचार पत्र	2535	348
VII	पुस्तकें एवं पत्रिकायें	3397	597
VIII	केरल स्टेट विकलांग कल्याण निगम लि०	0	1035
IX	कॉन्फ्रेंस रुम का नीवकरण व्यय	1,17,682	50,000
X	मुद्रण एवं स्टेशनरी प्रभार	0	549749
XI	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	0	30560
XII	केन्द्रीय भण्डार (कम्प्यूटर के लिए)	27774	27774
XIII	एन एस एफ डी (प्रशिक्षण व्यय)	0	174773
XIV	संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	13820	81492
XV	रिफ्रेशमेंट प्रतिपूर्ति	1,21,126	133902
XVI	टी डी एस (ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स)	0	622
XVII	सूचना केंद्र का शिलान्यास समारोह	57561	57561
XVIII	उज्जैन प्रदर्शनी	91831	91831
XIX	कार्तिक मेला	69126	69126
XX	मेघालय सरकार	59000	0

XXI	स्वीपिंग प्रभार	1440	0
XXII	बी० आर० बिल्डर्स	17195	0
XXIII	समाचार पत्र प्रतिपूर्ति	314	0
XXIV	कार्यशाला	19000	0
XXV	रेड कॉस सोसाइटी को आफिस रेंट	245548	0
XXVI	आदिनाथ ग्राफिक्स प्रा० लि०	297000	0
XXVII	एन बी सी एफ डी सी	285502	0
XXVIII	एन बी सी एफ डी सी (सूचना केंद्र पर व्यय)	10558	0
	<b>कुल (2)</b>	<b>18,79,867</b>	<b>16,96,593</b>
3	देय वेतन	45,126	53756
4	देय टी०डी०एस०	9,000	8500
5	श्री एच०सी० महाजन, सी एम डी का रिकवरी खाता	6620	6620
6	श्री एन० संकरइयहा, ए एम (परियोजना) का रिकवरी खाता	2500	2500
7	देय सी पी एफ	1433	1433
	<b>कुल योग (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>19,97,351</b>	<b>18,52,750</b>

अनुसूची 'ज'

(धनराशि रुपये में)

प्रावधान	31.3.2004 के अनुसार	31.3.2003 के अनुसार
ग्रेटच्यूइटी फॉर प्रोविजन	2,09,523	144229
विदेश सेवा योगदान हेतु प्रावधान	62035	34957
लीव एनकेशमेंट हेतु प्रावधान	1,73,705	104554
<b>कुल</b>	<b>4,45,263</b>	<b>28,37,40</b>

अनुसूची 'झ'

(धनराशि रुपये में)

ऋण से ब्याज	31.3.2004 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.2003 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण पर ब्याज	1,19,50,087	9640365
एम एफ एस पर ब्याज	1,31,410	53720
कुल	1,20,81,497	96,94,085

अनुसूची 'ज'

(धनराशि रुपये में)

अन्य प्राप्तियां	31.3.2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.3.2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
बचत बैंक खातों पर ब्याज	5,37,375	4,05,578
रेड क्रॉस सोसायटी के साथ सिक््योरिटी डिपोजिट पर ब्याज	15,750	15,750
फिक्सड डिपोजिट अकाउंट पर ब्याज	2,15,93,294	18649141
वाहन अग्रिम पर ब्याज	0	4912329

कम्प्यूटर एडवांस पर ब्याज	1,230	1890
हाऊस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज	1,41,047	154556
विविध प्राप्तियां	1,697	4596
कम्प्यूटर रिकवरी	2303	0
पिछले वर्षों से संबंधित आय (ब्याज एवं अन्य)	0	21177
<b>कुल</b>	<b>2,23,02,795</b>	<b>2,41,77,517</b>

अनुसूची 'ट'

(धनराशि रुपये में)

कर्मचारियों के लिए अदायगियां एवं प्रावधान	31.03.2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
सी एम डी को वेतन एवं भत्ता		
वेतन एवं भत्ते	459045	425108
बाल विद्या भत्ता	3600	2400
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	39487	370046
रिफ्रेशमेंट की प्रतिपूर्ति	7200	4800
विदेश सेवा योगदान	95785	91308
<b>कुल (1)</b>	<b>6,05,117</b>	<b>5,60,662</b>

स्टाफ को वेतन एवं भत्ता		
वेतन एवं भत्ते	1292237	960036
दैनिक भाड़ा	525383	468355
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	145602	74726
वाहन प्रतिपूर्ति	29125	43622
वाहन छूट	47961	37819
बाल शिक्षा भत्ता	11260	7200
रिफ्रेशमेंट की प्रतिपूर्ति	38070	36052
समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति	29830	20403
स्टाफ कल्याण	7551	62616
पी एफ/पेंशन को निगम का योगदान	153594	105279
लीव सैलरी	52015	16640
ग्रेच्युइटी	65294	34850
<b>कुल (2)</b>	<b>24,65,888</b>	<b>18,67,628</b>

प्रतिनियुक्त को वेतन एवं भत्ता		
वेतन एवं भत्ते	187744	177210
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	12348	11604
वाहन छूट	8400	6800
रिफ्रेशमेंट की प्रतिपूर्ति	7200	5600
समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति	4428	4296
विदेश सेवा योगदान	26671	25659
बाल शिक्षा भत्ता	7200	8271
कुल (3)	2,53,991	2,39,440
कुल योग (1+2+3)	33,24,996	26,67,730



अनुसूची 'ठ'

(धनराशि रुपये में)

अन्य व्यय	31.3.2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.3.2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कार्यालय किराया का प्रभार	713260	701568
मुद्रण एवं स्टेशनरी व्यय	160802	90322
डाक एवं टेलिग्राम व्यय	90813	95623
टेलीफोन व्यय	168406	145613
यात्रा व्यय (निदेशक)	320832	323112
यात्रा व्यय (स्टाफ)	292209	153934
यात्रा व्यय (अन्य)	213125	308763
कार्यालय रखरखाव व्यय	232278	192980
वाहन किराए पर लेने का खर्च	454749	484719
बिजनेस संवर्धन खर्च	115987	118653
विज्ञापन व्यय	271617	2,02,112
जागरुकता सृजन व्यय	1368057	508795
स्टाफ भर्ती एवं प्रशिक्षण व्यय	52063	3500
समाचारपत्र व्यय	3894	316
पुस्तक एवं पत्रिकायें	28817	54298
बोर्ड बैठक का खर्च	26418	30349
सामान्य खर्च	4009	4215
सूचना केंद्र, नई दिल्ली के लिए उद्घाटन पर हुए खर्च	0	13528
शिलन्यास समारोह खर्च	0	57561
कानूनी प्रभार एवं परामर्श प्रभार	0	70676
बैंक प्रभार	160	0
सहायता अनुदान	290,000	240,000

बैठक व्यय	25,557	41784
बीमा प्रभार	7729	6273
निगम सदस्यता फीस	40,000	40,000
सी एम डी के लिए हैबिटेट वर्ल्ड सदस्यता फीस	5000	0
संवर्धनात्मक व्यय	2,13,679	1,15,750
एस सी ए कॉन्फ्रेंस/बैठक का खर्च के संवर्धनात्मक क्रियाकलाप	94512	88668
ब्रोकरेज	3915	0
लीज किराया (सी एम डी)	260244	262696
लीज किराया (स्टाफ)	134500	0
प्रशिक्षण व्यय (लाभभोगी)	0	64628
सांविधिक ऑडिटर्स को पारिश्रमिक	33672	27550
इन्टरनल ऑडिटर्स को पारिश्रमिक	26,999	27550
बिजली प्रभार	92262	67203
वैबसाइट डिजाइनिंग खर्च	32720	0
पूर्व अवधि व्यय	47,452	19223
<b>कुल</b>	<b>58,25,737</b>	<b>45,66,992</b>

## अकाउंटिंग नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैलेंस शीट और आय एवं व्यय लेखा का फॉर्मिंग पार्ट

### क अकाउंटिंग नीतियां :

#### 1. अकाउंटिंग का आधार :-

निगम अपने वित्तीय लेखे मर्केनटाइल पद्धति पर रखरखाव कर रहे हैं, अन्यथा घोषित को छोड़कर। लेखे मौजूदा मामलो के आधार पर तैयार किये जाते हैं और सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के साथ सुसंगत रहते हैं।

#### 2. अचल परिसम्पत्तियों का वेल्यूएशन :

अचल परिसम्पत्तियों का लेखा जोखा अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट के आधार पर दिया जाता है।

#### 3. अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यहास :

क) निगम रिटन डाउन वेल्यू मेथड पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में मुहैया कराये दर के अनुसार मूल्यहास मुहैया कराता है।

ख) मूल्यहास पूरे माह के लिए लिया जाता है यदि सम्पत्ति 15 तारीख को अथवा उससे पहले ली गई हो और यदि सम्पत्ति

15 तारीख के पश्चात ली जाती है तो पूरे माह के लिए कोई मूल्यहास नहीं लिया जाएगा। वर्ष के दौरान बिके/बेकार/टूटी-फूटी परिसम्पत्तियों के लिए कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया जाएगा।

ग) 5000/- रुपये से कम लागत की परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रति मद 100 प्रतिशत की दर से मुहैया कराया जायेगा।

#### 4 आय

क) निगम की ऋणद नीति के अनुसार, यदि एन एच एफ डी सी की निधियां 90 दिनों के भीतर उपयोगित नहीं की जाती है, 91वें दिन से स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों को अनुपयोगित भाग के लिए स्वीकृत सामान्य ब्याज से अधिक ब्याज अर्थात् 18 प्रतिशत देना होगा। रिपमेंट में डिफॉल्ट के लिए एस सी ए से 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज लिया जाएगा। निगम ने निर्णय लिया है कि निधियों के नॉन-यूटिलाइजेशन के लिए उच्चतर दर के साथ-साथ देय किश्तों पर लिक्विडेटिड डेमेजिस किन्तु जो प्राप्त नहीं हुई है वास्तविक रिसिप्ट बेसिस पर अकाऊंटिंग फॉर मानी जाएगी। तथापि, 26.03.2002 को हुई निदेशकों के बोर्ड की 18वीं बैठक में अनुपयोगित निधियों पर उच्चतर ब्याज दर (18 प्रतिशत) के तत्काल रोकने के लिए अपना अनुमोदन पारित कर दिया था। चूंकि, बोर्ड ने दिनांक 26.03.2002 से उच्चतर ब्याज दर लेना बंद कर दिया है, 26.03.2002 तक प्रावधान जैसा भी जब भी प्राप्त होगा मुहैया कराया जायेगा। अकाऊंट फॉर का दिया जाएगा।

इससे आगे, 11 नवम्बर, 2002 को निदेशकों के बोर्ड की हुई 21वीं बैठक में निगम की एक नई ऋणद नीति अनुमोदित की गई थी जिसके अनुसार यदि एन एच एफ डी सी की निधियां 90 दिनों के भीतर उपयोगित नहीं की जाती है, स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों को

अनुपयोगित भाग के लिए 91 दिन से 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा जो अगले 90 दिन हेतु आवधिक ऋण के सामान्य ब्याज दर से अधिक होगा। एस सी ए को तत्पश्चात, अनुपयोगित धनराशि एन एच एफ डी सी को रिफंड करनी होगी तथा जिस तारीख को रिफंड किया जाएगा उस तारीख तक अतिरिक्त 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज भी देना होगा।

ख) ऋण पर ब्याज एवं निवेश एपलिकेबल रेट पर एक्युअल आधार पर अकाऊंटिड फॉर होते हैं।

ग) टेलीफोन सिक्योरिटी पर रिसीप्ट ऑफ इंटररेस्ट एकचुअल रिपिप्टस ऑफ टाइम अकाऊंट फॉर होता है।

घ) सेविंग फण्ड अकाऊंटस पर ब्याज एकूअल बेसिस पर अकाऊंट फॉर होता है।

## 5. रिटायरमेंट लाभ :-

सेवा निवृत्ति लाभ :-

क) निगम ने ग्रेच्युइटी के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं किये हैं, अतः पिछले वर्षों में ग्रेच्युइटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, 26.06.2003 को आयोजित हुई निदेशकों के बोर्ड की बैठक में "एन एच एफ डी सी ग्रेच्युइटी रूल्स", 2003 अनुमोदित कर दिये गये थे। उक्त नियमों के दृष्टिगत, वित्तीय वर्ष 2003-04 में 1,17,654/- रुपये की ग्रेच्युइटी हेतु प्रावधान को बुक ऑफ अकाऊंट में शामिल कर दिया गया है। 31.03.04 को ग्रेच्युइटी के लिए एक्युमिलेटिड प्रोविजन 3,27,177/- रुपये का है।

ख) निगम के निदेशकों के बोर्ड की 4.11.2002 को हुई बैठक में "एन एच एफ डी सी लीव एनकेशमेंट रूल्स, 2002" को अनुमोदित किया गया था जो निगम के कर्मचारियों के लीच स्टैंडिंग क्रेडिट पर लीव एनकेशमेंट से जुड़े थे। उक्त नियमों के दृष्टिगत, वर्ष 2003-2004 के बुक ऑफ अकाउंट्स में 83,250/- रुपये का प्रावधान कर लिया गया है। 31.3.2004 को लीव एनकेशमेंट के लिए एक्युमुलेटिड प्रोविजन 2,56,955/- रुपये का है।

6. वर्ष के दौरान स्टेशनरी को एक खर्च के रूप में दर्शाया गया है और कोई स्टॉक फॉरवर्ड नहीं किया गया है।

ख) लेखों पर टिप्पणियां :-

1. आयकर अधिनियम, 1961 के नियम 11 के प्रावधानों के दृष्टिगत आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगम ने आयकर अधिनियम के नियम 12 क के तहत पंजीकरण प्राप्त कर लिया है।
2. कम्पनी अधिनियम, 1956 के नियम 25 (3) (ख) के संबंध में, निगम ने डिविडेंड घोषित नहीं किये हैं और "फाइनांस फॉर डेवेलपमेंट स्कीम्स" को ऑगमेंट करने के लिए सरप्लस को प्लो बैक किया और अतः 1,51,98,962/- रुपये का वर्ष हेतु सरप्लस जनरल रिजर्व अकाउंट को हस्तांतरित कर दिया गया है।
3. प्लेसमेंट्स ऑफ फंड्स पर ब्याज एक्युअल डे बेसिस पर प्राप्त किया जाता है और एक्युअल आधार पर अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है।

4. निगम के लिए लीज पर लिये गये रेडक्रॉस भवन के परिसर के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में मैसर्स रेडक्रॉस सोसाइटी को 4,50,000/- रुपये की धनराशि दे दी गई है और धनराशि लैसर के पास रहेगी और जब निगम लीज्ड परिसर को खाली कर देगा तो उस समय यह धनराशि उसको वापस लौटा दी जाएगी जिससे समय-समय पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज भी शामिल है।
5. 31.03.2004 तक 31 (पी वाई 27) एस सी ए को 7506.02 लाख रुपये (पी0वाई0 4909.10 लाख) की कुल धनराशि निर्मुक्त की गई थी। एन एच एफ डी सी द्वारा एस सी ए को रिलीज किये गये ऋण स्टेट गवर्नमेंट गारंटी/ऑर्डरर्स के माध्यम से सिक्योर्ड हैं। तथापि कुछ मामलों में, सरकारी गारंटी प्राप्त की जानी अभी शेष है। उक्त निधियों के रिलीज के अगेनस्ट निम्नलिखित मामलों में ब्लॉक गवर्नमेंट गारंटीज/ऑर्डरर्स में 1607.55 लाख रुपये (पी0वाई 1418.25 लाख) की कमी दर्ज की गई है :-

क्रमांक	एस सी ए का नाम	बी सी जी में गिरावट (धनराशि लाख रुपये में)
1.	सी सी डब्ल्यू डी सी, सी एच डी	18.65
2.	दिल्ली	40.40
3.	जी एस एफ सी	349.50
4.	जी एस एस सी बी सी एफ डी सी, गोवा	17.61
5.	एच पी एम एफ डी सी, एच पी	36.57 *
6.	एल के बी आई बी, लाक	12.27
7.	एम पी पी ए वी इ एन वी एन, एम पी	19.11 *

8.	एम पी एस सी एफ डी सी, एम पी	194.37 *
9.	एम पी टी एफ डी सी, एम पी	41.44 *
10.	एम वी एस एन, उड़ीसा	541.50
11.	पी सी डी डब्ल्यू एच पी एल, पॉण्डीचेरी	313.36
12.	एस एस डब्ल्यू सी डी, पंजाब	1.84
13.	डब्ल्यू बी डब्ल्यू डी सी, डब्ल्यू बी	20.93 *
	<b>कुल</b>	<b>1607.55</b>

\* तथापि, उक्त कमी सरकारी आदेश/गारंटी द्वारा तदनन्तर प्राप्त कर ली गई है।

6. 31.03.04 के अनुसार रेड क्रॉस सोसाइटी को 2,52,645 /— रुपये की धनराशि देय है। बिजली प्रभार की अदायगी रेड क्रॉस सोसाइटी के स्पष्टीकरण के कारण लंबित है।
7. मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्तिक मेला-21001 आयोजित कराने हेतु एन एच एफ डी सी द्वारा उपगत किये गये व्यय के प्रतिपक्षिता में इनके शेयर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधानुसार वित्तीय वर्ष 2001-02 में मुहैया कराये 27,774 /— रुपये प्रदान कर दिये गये हैं। उक्त बिलों की अदायगी एन बी सी एफ डी सी से स्पष्टीकरण के कारण अभी भी लंबित है।
8. 4.2.2003 को उज्जैन में हुए सूचना केंद्र के शिलान्यास समारोह के आयोजन के लिए एन एच एफ डी सी शेयर के रूप में प्रावधानुसार वित्तीय वर्ष 2002-03 में 57,561 रुपये मुहैया कर दिये गये हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से स्पष्टीकरण के कारण बिलों की अदायगी लंबित है।



9. एम पी वी ए वी इ एन, एम पी द्वारा उपगत सवर्धनात्मक क्रियाकलापों संबंधी व्ययों के लिए प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2002-03 में 19,117/- रुपये की धनराशि मुहैया करा दी गई है। तथापि, इस क्लेम के संबंध में अदायगी एम पी वी ए वी इ एन के संबंधित स्पष्टीकरण के कारण लंबित है। प्रावधान की प्रतिपक्षिता में अधिकता/कमी अदायगी के वर्ष में अकाउंटिड फॉर कर दी जाएगी।
10. 19.3.2003 से 24.03.2003 तक के दौरान उज्जैन प्रदर्शनी आयोजित कराने हेतु एन एच एफ डी सी द्वारा उपगत व्यय के संबंध में इनके शेयर से जुड़े राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा दावित जागरुकता सृजन व्ययों के लिए प्रावधानानुसार वित्त वर्ष 2002-2003 में 91,831/- की धनराशि मुहैया करा दी गई है। तथापि, स्पष्टीकरण के कारण बिलों की अदायगी लंबित है। प्रावधान से जुड़ी अधिकता/कमी भुगतान के वर्ष में अकाउंटिड फॉर कर दिया जाएगा।
11. कार्तिक मेला 2002 आयोजित कराने हेतु उनके द्वारा उपगत व्यय के अगेन्सट एन एच एफ डी सी के शेयर की प्रतिपूर्ति के लिए एन बी सी एफ एण्ड डी सी, नई दिल्ली द्वारा दावित जागरुकता सृजन व्ययों के लिए प्रावधान के अनुसार वित्त वर्ष 2002-03 में 69,126 रुपये की धनराशि मुहैया करा दी गई है। तथापि, स्पष्टीकरण के कारण अदायगी के बिल लंबित है। प्रावधान के अगेन्सट अधिकता/कमी अदायगी के वर्ष में अकाउंटिड फॉर कर दी जाएगी।

12. दिनांक 19.7.2002 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए निगम के परिपत्र सं० डी-11020/1(2)/2000-सामान्य (पार्ट) के मार्फत निगम को आबंटित महिला इमदाद कमेटी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीछे के सेंट्रल हॉल के संबंध में बिजली एवं पानी प्रभार के शेयरिंग के अगेंस्ट वर्ष के दौरान 10,442/- रुपये की धनराशि मुहैया कराक दी गई है। तथापि, उक्त से जुड़ी अदायगी स्पष्टीकरण हेतु लंबित है। प्रावधान के अगेंस्ट अधिकता/कमी को भुगतान के वर्ष में अकाऊंटिड फॉर कर दिया जाएगा।
13. 10-15 फरवरी, 04 हैदरबाद में हुये प्रचार अभियान के लिए विकलांगों संबंधी स्कीमों पर बनाये गये पैनलों/होर्डडिंग्स के संबंध में 2,97,000/- रुपये की धनराशि मुहैया करा दी गई है। अदायगी के भाग के रुप में 5 मई, 2006 को 2,63,941/- रुपये (टी डी एस के बाद) की अदायगी कर दी गई और सेल्स टैक्स लायबिलिटी के रुप में 27000/- रुपये बिक्री कर दर स्पष्टीकरण के कारण लंबित है।
14. मंत्रालय के निर्देशानुसार रायपुर (छत्तीसगढ़) में हुए प्रचार अभियान में एन एच एफ डी सी द्वारा उपगत व्यय के अगेनसट शेयर की प्रतिपूर्ति की प्रतिपक्षिता में एन बी सी एफ डी सी, नई दिल्ली द्वारा दावित जागरुकता सृजन व्ययों के लिए 1,23,120/- रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई। एन बी सी एफ डी सी से स्पष्टीकरण के कारण उक्त बिल की अदायगी लंबित पड़ी है। भुगतान के वर्ष में इस प्रावधान के अगेनसट एक्सेस/शोर्टेज को अकाऊंटिड फॉर कर दिया जाएगा।

12. 25.01.04 और 28.2.2004 जागरुकता कैम्प आयोजन कराने के लिए एन एच एफ डी सी द्वारा उपगत शयेर व्यय की प्रतिपक्षता में एन बी सी एफ डी सी, नई दल्ली द्वारा दावित जागरुकता सृजन व्ययों के लिए 85,723/- रुपये की धनराशि मुहैया कराई गई है। तथापि, स्पष्टीकरण के कारण बिलों के भुगतान लंबित पड़े हैं। प्रावधान के अगेनस्ट एक्सेस/शोर्टज अदाकारी के वर्ष में अकाउंटिड फॉर कर दिए जाएंगे।
13. मंत्रालय के निर्देशानुसार मंत्रालय की स्कीमों के प्रचार हेतु रायपुर (छत्तीसगढ़) में डिजिटल पैनलों/होर्डिंग्स लगाने के लिए एन एच एफ डी सी के शेयर के संबंध में 73,483/- रुपये की धनराशि मुहैया करा दी गई है। तथापि, बिलों की अदायगी अभी भी लंबित है। प्रावधान के अगेनस्ट एक्सेस/शोर्टज (यदि कोई हो) भुगतान के वर्ष में अकाउंटिड फॉर कर दिया जाएगा।
17. 31.3.2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षको के पारिश्रमिक एवं आंतरिक ऑडिट फीस के लिए किए गये प्रावधान में से टी डी एस नहीं काटा गया है और जागरुकता सृजन व्ययों के संबंध में मैसर्स आदिनाथ ग्राफिक्स प्राइवेट लि0 को देय 2,97,000/- रुपये के प्रावधान पर भी कोई टी डी एस नहीं काटा गया, तथापि, भुगतान के समय टी डी एस काट लिया गया।
18. श्री एच0सी0 महाजन, निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के संबंध में 01.04.2004 से 03.09.2004 तक की अवधि के लिए लीव सैलरी एवं पेंशन कॉन्ट्रीबियुशन के शीर्ष के तहत 46,759/- रुपये की प्रतिपक्षिता के रूप में डेबिट कर धनराशि दी गई, बुक ऑफ अकाउंट्स में। इस

धनराशि को "विदेश सेवा योगदान" हैडिंग के तहत बुक ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया गया था। उक्त प्रावधान उनकी सेवाओं की शर्तों एवं नियमों के अनुरूप है।

16. बैलेंस शीट डैट का कोई कन्टिजैन्ट लायबिलिटी नहीं है।

17. कैपिटल अकाउंट पर एकजीक्यूट होने वाली रिमेनिंग ऐस्टीमेटिड अमाउंट आफ कॉन्ट्रेक्ट तथा जो प्रोवाइड नहीं किया गया है शून्य रुपये है (नेट ऑफ एडवांसिज), (पिछला वर्ष शून्य)।

18. मौजूदा परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम :- निदेशकों के मतानुसार सभी मौजूदा परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिमों की वेल्यू ऑन रियलाइजेशन होती है जो सामान्य व्यवसाय में उसी धनराशि के बराबर होनी चाहिए जो बैलेंस शीट में दर्शाई गई हो।

22. 23,51,74,595 /- रुपये के कैश एवं बैंक बैलेंस (शेड्यूल-डी) में 5,48,99,166 /- रुपये भारत सरकार से प्राप्त अनुपयोगित इक्विटी से जुड़ी है जो विभिन्न बैंकों में शोर्ट टर्म डिपोजिट्स में रखी जाती है।

23,51,74,595 /- रुपये के कैश एण्ड बैंक बैलेंसेस (शेड्यूल डी) में निम्नलिखित शामिल है -

कैश इन हैण्ड - 76,598 /- रुपये  
शेड्यूल बैंक में बैलेंसेस

सेविंग बैंक - 2,50,97,997 /- रुपये

एफ डी आर/डिपोजिट खाता – 21,00,00,000 /– रुपये

23. वित्तीय वर्ष 2002-03 के दौरान, जागरुकता सृजन प्रयोजनार्थ नोएडा में 20/2/03 से 21/2/03 तक प्रदर्शनी में भागीदारी हेतु राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के उनके शेयर के रूप में 20,000/- रुपये रिकवरेबल दर्शाये गये हैं। यह मामला अभी भी लंबित है। प्रयास किये जा रहे हैं कि इस धनराशि की एस एस के एफ डी सी से वसूली की जा सके।
24. दिनांक 8.12.2003 के प्रत्रांक 3-11/2003 –एन आई-II के माध्यम से मंत्रालय के प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार उज्जैन में मंत्रालय के समाजिक न्याय केंद्र में सूचना केंद्र के निर्माण हेतु आर्टिफिशियल लिंबस मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (आलिमको) को निगम द्वारा अपने शेयर के रूप में 3,00,000/- रुपये का योगदान किया। यह सूचना केंद्र निगम की स्कीमों के संबंध में प्रसार-प्रचार हेतु उपयोग में लाया जाएगा, जिसको निगम के खाते में एलिमको को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है। यह मामला अभी तक लंबित है।
25. चूंकि, सॉफ्टवेयर विकास प्रोसेस पूरा नहीं किया जा सका, एन एच एफ डी सी शेयर की प्रतिपूर्ति के टूवर्डस 1,75,000/- रुपये की धनराशि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली को अदा कर दी गई है जो लोन अकाउंटिंग सिस्टम और एम आई एस सिस्टम के लिए कॉमन सॉफ्टवेयर को लगाने एवं विकसित करने के लिए था तथा जिसको बही खातों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में दर्शाया गया है।

26. क. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को ए 1/51, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली में निदेशकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदितनुसार 25,000/- रुपये के मासिक किराये पर फर्निशड आवास दिया गया। प्रत्येक माह सी एम डी के वेतन में से प्रति माह मूल वेतन का 12.50 प्रतिशत वसूला जाता है।

ख. निगम ने सी एफ डी के लिए मासिक आधार पर एक वाहन किराये पर लिया है।

ग. एन एच एफ डी सी के भूतपूर्व सी एम डी श्री एच0सी महाजन के घर में 1,42,323/-रुपये के कम्प्यूटर, एस्सरीज एवं अन्य भाग लगाये गये थे। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ई (समन्वय) शाखा द्वारा जारी दिनांक 1/8/2000 के सरकारी ज्ञापन सं0 7(4)/ई (समन्वय)/99 के अनुसार 11/8/2003 से 300/- रुपये प्रतिमाह की दर से वसूली आरम्भ कर दी गई है।

27. वर्ष के दौरान, 47452/- रुपये का पूर्व अवधि व्यय आय एवं व्यय खाते में चार्ज किया गया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

	2003-04	2002-03
बिजली का खर्च	2088/- रुपये	---
प्रशिक्षण व्यय (लाभभोगी)	13820/- रुपये	---
सदस्यता फीस	5000/- रुपये	---
लीव सैलरी	17136/- रुपये	---
सूचना केंद्र	94081/- रुपये	---
वेतन एवं भत्ते	---	19223
	47452/- रुपये	19223/- रुपये

28. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के भाग II के प्रावधान के अनुसरण में अतिरिक्त जानकारी :

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

	2003-04	2002-03
वेतन एवं भत्ते	4,59,045 / - रुपये	4,25,108 / - रुपये
अन्य लाभ	1,46,072 / - रुपये	1,35,554 / - रुपये

29. अर्जन प्रति शेयर

	विवरण	2003-04	2002-03
क	इक्विटी शेयर होल्डर को एट्रिव्युटेबल वर्ष के लिए नेट प्रोफिट (रुपये में)	24676758 / - रुपये	26248182 / - रुपये
ख	इक्विटी शेयरस के वैटिड एवरेज नम्बर	599448 / - रुपये	523010 / - रुपये
ग	बेसिक अर्निंग पर शेयर (ए/बी) (रुपये में)	41.33	50.18
घ	नोमिनल वेल्यू पर शेयर (रुपये में)	1000	1000

30. मौजूदा वर्ष के आकड़ों के समरूप जहां आवश्यक है पिछले वर्ष के आकड़ों को रि ग्रुप/रि अरेंजेड कर दिये गये हैं।

31. कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग VI के तहत अतिरिक्त जानकारी :-

बैलेंस शीट एबस्ट्रेक्ट और कम्पनी की जनरल बिजनैस प्रोफाइल

**I पंजीकरण का ब्यौरा :-**

पंजीकरण संख्या : 05-33466 स्टेट कोड : 05  
बैलेंस शीट तारीख : 31.03.2004

**II वर्ष के दौरान (हजार रुपये में धनराशि) बढ़ाई गई पूंजी**

पब्लिक इश्युज : शून्य राईट इश्यु : शून्य

सरकारी अंशदान : शून्य बोनस इश्यु : शून्य

निजी : शून्य

**III निधियों के मोबिलाइजेशन एवं डिप्लॉयमेंट की स्थिति  
(धनराशि हजार रुपये में)**

निधियों के स्रोत

कुल दायित्व : 808508 कुल परिसम्पत्तियां : 808508

प्रदत्त पूंजी : 623010 रिजर्वड एवं सरप्लस : 185498



सिक्कयोरड ः शून्य अनसिक्कयोरड ः शून्य

#### निधियों की ँपलिकेशन

नैट फिक्ड परिसम्पत्तियां ः 15.21

निवेश ः शून्य

नैट करैंट परिसम्पत्तियां ः 806987 विविध व्यय ः शून्य

ँक्युमियुलैटिड हानि ः शून्य

#### IV कम्पनी का प्रदर्शन

टर्न ओवर/रिसिप्ट ः 34384 कुल व्यय ः 9608

कर पूर्व लाभ ः 24776 कर पश्चात लाभ ः 24776

प्रति शेयर अर्जन ः 41.33 डिविडेंड ः लागू नहीं  
(रूपये में)

#### V कम्पनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं का जनेरिक नाम (मोनेटरी टर्म्स के अनुसार)

आइटम कोड संख्या ः शून्य  
(आई टी सी कोड)

उत्पाद विवरण ः फाइनांसिंग परियोजनाएं

अनुसूची "क" से "ड" खातों का अनिवार्य भाग है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी  
ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में प्रमाणित

कृते एवं निदेशकों के बोर्ड की तरफ से

हस्ताक्षरित

(हस्त०)

एम०एल० भंसाली एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

(राकेश गर्ग)  
अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक

(हस्त०)

(हस्त०)  
(एम०एल० भंसाली)  
पार्टनर

(जी०एन० पेगु)  
निदेशक

(हस्त०)

(हस्त०)

स्थान : नई दिल्ली, कैम्प  
दिनांक : 15-5-2006

(जी०एस०पवार)  
प्रबंधक (वित्त)

(आर०के० मिश्रा)  
कम्पनी सचिव

**प्रोक्सी फॉर्म**  
**राष्ट्रीय विकलांग एवं विकास निगम**

मैं ..... , ..... का  
..... में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम  
का सदस्य होने के नाते, ..... के .....  
..... को अपने प्रोक्सी के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त  
करती हूँ जो ..... के किसी  
स्थगन और दिन ..... दिनांक ..... को  
आयोजित होने वाली कम्पनी की आठवीं वार्षिक आम बैठक में मेरी तरफ से  
मेरे लिए वोट करेंगे।

हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... दिन .....

.....